।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांकः–व–15(6)आरपीए/जन/रिक्रुट/ 2025/7175 दिनांकः– 24/12/25

–:: खुली निविदा सूचना ::–

अकादमी परिसर में दिनांक 07.01.2026 से 08.01.2026 तक दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉफ्रेन्स आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त कॉफ्रेन्स के आयोजन में प्रतिभागियों एवं अतिथियों के लिए नाश्ता,हाई–टी, लंच, एवं डीनर के लिए खुली बोली निविदा दिनांक 24.12.2025 को प्रातः 10.15 बजे से दिनांक 05.01.2026 प्रातः 11.00बजे तक आंमत्रित की जाती है। निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है–

क्र. सं.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	दिनांक 07.01.2026 से 08.01.2026 तक दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉफ्रेन्स आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त कॉन्फ्रेस के आयोजन में प्रतिभागियों एवं अतिथियों के लिए नाश्ता, हाई–टी, लंच, एवं डीनर क्रय किया जाना प्रस्तावित है। परिशिष्ठ– ए के अनुसार	**7.12 लाख**	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत 14240/–रूपये	500.00 रू	05.01.2026 दोपहर 12.00 बजे

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक सूचना एंव सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में एवं राज्यस्तरीय समाचार पत्र में जिसका परिचालन 50 हजार प्रतियों से अधिक हो, में प्रकाशित करावें।
2. निजी सहायक, निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
4. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
5. प्रभारी लेखाशाखा/ जनरल शाखा/प्रभारी स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
6. प्रोग्रामर आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा SPPP पोर्टल (**www.sppp.rajasthan.gov.in**), एवं विभागीय www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवंम् शर्तो के अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

1. कार्य का नामः— संस्था में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेस आयोजित में शामिल अधिकारीयों हेतु अल्पाहार क्रय लिए निविदा वर्ष 2025—26
2. निविदा संख्या /2025—26 दिनांक.....................
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जावें।
4. (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई—मेल सहितः—
   ___
   ई—मेल आई.डी...
   (ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम..मोबाईल नं.....................
5. निविदा शुल्क हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रूप्ये 500/— का बैंकर चैक/ड्राफट/रसीद संख्या/ ....दिनांक...............संलग्न है।
6. बोली प्रतिभूति हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि रू0 14240/—का बैंकर चैक/ड्राफट संख्या........................ दिनांक ....संलग्न है।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
8. निविदा पूर्ण रूप से सील पैक करके प्रस्तुत करनी होगी स्ऐपलर से सील की हुई मान्य नहीं होगी
9. निविदा सामग्री का सैम्पल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैः—

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र	
2.	PAN Card व Address Proof प्रमाण पत्र	
3.	GST पंजीयन प्रमाण पत्र	
4.	दुकान एवं वाणिज्य शॉप का प्रमाण—पत्र	
5.	बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षो 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 में वार्षिक राशि 10.00 लाख का टर्नऑवर प्रस्तुत करना होगा टर्नऑवर सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिस पर जारी हो एवं UDIN नंबर अंकित हो। बिना नम्बर के टर्नऑवर प्रमाण—पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।	
6.	बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए **(राशि रूप्ये 100/—के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं के हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)**	
7.	फुड रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	

निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण—पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे।
निविदादाता अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण—पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।

11. निविदा सूचना संख्या /2025—26 दिनांक ....राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है इसमें वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये हम

सहमत है। निविदा की अन्य शर्ते, जो संलग्न पृष्ठो में दी गई है। इन समस्त पृष्ठों पर वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, तथा इनका पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेस के आयोजन में शामिल अधिकारीयों के लिए अल्पाहार क्रय हेतु मोहरबन्द बोलियां के लिए बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्तें:–

1. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। **(राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)**
2. बोलीदाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षो 2022–2023, 2023–24 व 2024–25 मे राशि रूपयें 10.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए।
3. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।**(पेन कार्ड की स्व–सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)**
4. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। **(GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)**
5. सामग्री शुद्व, ताजा तैयार की हुई सप्लाई करनी होगी।
6. बोलीदाता को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का अधिकृत विक्रेता होना आवश्यक है। अधिकृत डीलर होने का स्व हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अपेक्षित है।
7. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से एकल पद्वति से प्राप्त की जावेगी।
8. प्रदाय की जाने वाली समस्त सामग्री स्वंय दरदाता फर्म द्वारा तैयार की हुई शुद्व देशी घी एवं तेल से बनी ताजा होना आवश्यक है। सभी सामग्री केटरिंग सहित होगी।
9. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./बैंकस चैक/FDR /बैंक गारन्टी(जो निदेशक, RPA, के नाम से है।) के माध्यम से जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।
10. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
11. फुड रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
13. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के अविलम्ब ही नियमानुसार राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा।
14. सफल बोलीदाता द्वारा कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के अनुसार बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 1 दिवस के भीतर अनुसूचित **बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)** से जमा करानी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
15. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
16. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।

17. अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री की दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

18. दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।

19. आदेशित माल/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।

20. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी।

21. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।

22. बोली खुलने के प्श्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

23. अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामग्री को सही स्थिति मे अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन मे हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी।

24. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।

25. न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नही होगी।

26. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।

27. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता एवं सैम्पल के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

28. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 2 घण्टे का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया

जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।

29. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

30. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)

31. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

32. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2013 की धारा-38 के तहत् कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर** के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। (अनुलग्नक–'स')प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूप्ये 2500/– एवं राशि रूपये 10000/– निर्धारित है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।

33. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

34. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवंनियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

35. उपापन समिति द्वारा सामग्री का सैम्पल मांगे जाने पर शीघ्र प्रस्तुत करना होगा।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर

S. R.11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घो णा करता हूँ/करते हैं कि मैंने /हमने जिन मालों/सामानों /उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनांफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ड हूँ/है।

यदि यह घो णा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपह्मत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

परिशिष्ट–ए

क्र.सं.	सामग्री का नाम	तादाद् (व्यक्ति)	दर प्रति व्यक्ति	GST दर	समस्त कर सहित कुल योग
	HI-TEA VIP	200 व्यक्ति हेतु			
1.	**मैन्यू में निम्नानुसार आईटम शामिल है:–** • मिनरल वॉटर बॉटल्स 200ML • चाय/कॉफी • बैकरी बिस्किट • खमण ढोकला • दाल कचौरी • वेज सेंडवीच • फ्रुट्स (सेव,अमरूद,अनार, पपीता) • मिक्स वेज, पकौड़ा • गुलाब जामुन • कैटरिंग				
	HI-TEA Normal	200 व्यक्ति हेतु			
2.	**मैन्यू में निम्नानुसार आईटम शामिल है:–** • चाय • दाल कचौरी • वेज सेण्डवीच • गुलाब जामुन • 20 लीटर मिनरल वॉटर बोटल्स • कैटरिंग				
	Lunch VIP	300 व्यक्ति हेतु			
3.	**मैन्यू में निम्नानुसार आईटम शामिल है:–** • वेज सूप–मैनशॉ, क्रीम ऑफ वेजीटेबल • सलादः– ग्रीन सलाद, थाई सलाद • पिकल • सब्जीः– पनीर,लावबदार, दम आलू, सरसों साग, बैक वेज, दाल				

	फ्राई • पी पुलाव • रायता • पापड़ • रोटी, नॉन, पराठा मक्का रोटी • बटर, गुड • डेजर्ट– दाल का हलवा, ब्लैक फोरेस्ट केक • मिनरल वाटर बॉटल्स 200ML कैटरिंग				
	चाय	100 व्यक्ति हेतु			
	• चाय, कॉफी • बैकरी बिस्किट • समोसा • कैटरिंग				
4.	**डीनर**	100 व्यक्ति हेतु			
	मैन्यू में निम्नानुसार आईटम शामिल है:– • सूप– ब्रोकली, स्वीट कोर्न • सलाद–ग्रीन सलाद • सब्जी वेज– मिक्स वेज कोरमा, पालक कोर्न, दाल • जीरा राइस • नॉनवेज– भूना चिकन • स्नैक्स वेज– पनीर टिका तन्दूरी आलू • नॉनवेज:– चिकन टिका, सॉथे मटन सीक • रोटी, पराठा, नॉन • पापड़ • डेजर्ड– बैक मिश्री मावा • कैटरिंग				
5.	**हाई–टी**	100 व्यक्ति हेतु			

	मैन्यू में निम्नानुसार आईटम शामिल है:– • मिनरल वाटर बॉटल्स200ML • चाय,कॉफी • कुकीज • वेज कॉपता • सेण्डवीच • चॉकलेट टॉर्ट • कैटरिंग				
	लंच	100 व्यक्ति हेतु			
	• मिनरल वाटर बॉटल्स200ML • सूप–टोमेटो • सब्जी:– पनीर देशी, मलाई कोप्ता, तवा वेज, दाल मिक्स पंचमेल • प्लेन राइस • नॉनवेज–चिकन करी • गाजर का हलवा • कैटरिंग				
	चाय	100 व्यक्ति हेतु			
	मैन्यू में निम्नानुसार आईटम शामिल है:– • स्नैक्स • कुकीज • वेजपफ • चाय, कॉफी • कैटरिंग				

1. नोट:– उपरोक्त सामग्री शुद्व देशी घी एवं रिफायण्ड तेल में ताजा तैयार की हुई सप्लाई करनी होगी।
2. जी.एस.टी. का पृथक से उल्लेख करे यदि लागू हो तो।
3. उपरोक्त दरें केटरिंग सहित मान्य होगी।